

आपकी 5 मई 2016 के स्कॉटिश संसद चुनाव के लिए मतदान गाइड



The
Electoral
Commission

कौन वोट दे सकता है?



आप इस चुनाव में वोट दे सकते/सकती हैं अगर आप स्कॉटलैंड में वोट देने के लिए पंजीकृत हैं, और **गुरुवार 5 मई 2016** को आपकी आयु 16 वर्ष या अधिक होगी:

- कोई ब्रिटिश या आयरिश नागरिक, या
- कोई राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) नागरिक जिसके पास यूके में रहने की अनुमति है या जिसे यूके में रहने के लिए अनुमति की ज़रूरत नहीं है, या
- किसी अन्य यूरोपियन यूनियन देश का कोई नागरिक

विदेशों में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक स्कॉटिश संसद चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं।

यह पहला स्कॉटिश संसद चुनाव है जिसमें 16 और 17 वर्ष के युवा वोट देने के पात्र हैं।

इस चुनाव में वोट देने के लिए आपको **सोमवार 18 अप्रैल 2016** को आधी रात तक वोट देने के लिए पंजीकरण कराना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप जितनी जल्दी हो सके पंजीकरण करवाएं क्योंकि हो सकता है कि आपके पंजीकरण कार्यालय को आपके साथ किसी भी जानकारी की जांच करने की ज़रूरत हो।

अगर आपको हाल ही में एक चुनाव कार्ड मिला है, तो आप वोट देने के लिए पंजीकृत हैं।

आपका चुनाव कार्ड आपको बताता है कि वोट कब और कहाँ देना है और अगर आप पंजीकृत हैं तो आपको चुनाव से पहले एक चुनाव कार्ड प्राप्त होगा।

वोट देने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें:
gov.uk/register-to-vote
या 0800 3 280 280 पर कॉल करके



• • मैं वोट कैसे दूँ?



वोट देने के तीन तरीके हैं:

1. गुरुवार 5 मई 2016 को अपने मतदान केंद्र पर

आपको चुनाव कार्ड भेजा जाएगा जिसमें आपको यह बताया गया होगा कि आपका मतदान केंद्र कहाँ है। वोट देने के लिए आपको अपने चुनाव कार्ड की ज़रूरत नहीं है और अगर आप इसे खो देते/देती हैं, या इसे प्राप्त नहीं करते/करती हैं तो आप यह पता लगाने के लिए कि आपका मतदान केंद्र कहाँ है, अपनी स्थानीय काउंसिल से संपर्क कर सकते/सकती हैं। **मतदान केंद्र सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं।**

2. डाक द्वारा

डाक द्वारा वोट देने हेतु आवेदन करने के लिए, डाक द्वारा मतदान आवेदन फार्म भरें और उसे समय रहते अपने स्थानीय चुनाव पंजीकरण कार्यालय को भेज दें ताकि यह मंगलवार 19 अप्रैल 2016 को शाम 5 बजे तक पहुँच जाए।

आपको आपके मतपत्र डाक द्वारा प्राप्त होंगे। अपने मतपत्रों को भर कर वापिस भेज दें, और यह सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त समय छोड़ते हैं जिससे वे गुरुवार 5 मई 2016 को रात 10 बजे तक पहुँच जाएं।

3. प्रॉक्सी द्वारा (अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को आपकी ओर से वोट देने की अनुमति देना)

प्रॉक्सी द्वारा (परोक्ष रूप से) वोट देने हेतु आवेदन करने के लिए, आवेदन फार्म भरें और उसे समय रहते अपने स्थानीय चुनाव पंजीकरण कार्यालय को भेज दें ताकि यह मंगलवार 26 अप्रैल 2016 को शाम 5 बजे तक पहुँच जाए।

किसी आपातकाल में जब आप व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं आप गुरुवार 5 मई 2016 को शाम 5 बजे तक आपातकालीन प्रॉक्सी के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए या एक डाक या प्रॉक्सी आवेदन फार्म प्राप्त करने के लिए, aboutmyvote.co.uk पर जाएं या हमारी हेल्पलाइन को 0800 3 280 280 पर कॉल करें।

• मैं मतपत्र को कैसे भरूँ?

आपको दो मतपत्र प्राप्त होंगे:

निर्वाचन क्षेत्र मतपत्र

(स्थानीय क्षेत्र)

Election of Members of the Scottish Parliament for the [XXXXXXXXXXXXXXXXXX] Constituency	
Vote for only one candidate by putting a cross in the box next to your choice	<input checked="" type="checkbox"/>
Candidate A A Party	<input type="checkbox"/>
Candidate B B Party	<input type="checkbox"/>
Candidate C Independent	<input type="checkbox"/>
Candidate D D Party	<input type="checkbox"/>
Candidate E Independent	<input type="checkbox"/>

इस मतपत्र पर आप अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी उम्मीदवार को वोट देते/देती हैं। **एक उम्मीदवार** के नाम के सामने बॉक्स में एक काटा (X) लगाएं

क्षेत्रीय मतपत्र

(बड़ा चुनावी क्षेत्र)

Election of Members of the Scottish Parliament for the [XXXXXXXXXXXXXXXXXX] Region	
Vote only once by putting a cross in the box next to your choice	<input checked="" type="checkbox"/>
A Party	<input type="checkbox"/>
B Party	<input type="checkbox"/>
C Party	<input type="checkbox"/>
Candidate D Independent	<input type="checkbox"/>
Candidate E Independent	<input type="checkbox"/>

इस मतपत्र पर आप अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देते हैं। **एक पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार** के नाम के सामने बॉक्स में एक काटा (X) लगाएं

स्कॉटिश संसद चुनाव

गुरुवार 5 मई 2016 को, स्कॉटिश संसद का चुनाव होगा।

स्कॉटिश संसद के पास स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, न्याय और पर्यावरण सहित बहुत से क्षेत्रों में स्कॉटलैंड के लिए कानून बनाने का अधिकार है।

स्कॉटलैंड में हर किसी का आठ स्कॉटिश संसद के सदस्यों (MSPs) के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है: एक उनके निर्वाचन क्षेत्र (या स्थानीय क्षेत्र) के लिए और सात उस बड़े चुनावी क्षेत्र के लिए जिसमें वे रहते हैं।

129 निर्वाचित MSPs हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- 73 निर्वाचन क्षेत्र MSPs, 73 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक
- 56 क्षेत्रीय MSPs, स्कॉटलैंड के आठ चुनावी क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए सात।

स्कॉटिश संसद के बारे में अधिक जानकारी के लिए,
scottish.parliament.uk पर जाएं



अतिरिक्त जानकारी कैसे प्राप्त करें

यदि आपके कोई भी सवाल हैं, या यदि आप इस पुस्तिका को किसी अलग भाषा में या वैकल्पिक प्रारूप में प्राप्त करना चाहेंगे/चाहेंगी तो **aboutmyvote.co.uk** पर जाएं। या हमारी हेल्पलाइन से **0800 3 280 280** पर संपर्क करें।

 @ElectoralCommUK



चित्र © स्कॉटिश पार्लियामेंटरी कॉर्पोरेट बॉडी - 2012.

ओपन स्कॉटिश पार्लियामेंट लाइसेंस v1.0 के तहत लाइसेंसीकृत।

इसे इनके द्वारा तैयार किया गया है: The Electoral Commission
Lothian Chambers, 59-63 George IV Bridge, Edinburgh EH1 1RN

© इलेक्टोरल कमिशन 2016

